<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 70 / 2016

1 गोविन्द सिंह पुत्र राजा रामसिंह जाति राजपूत निवासी खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 विक्रम सिंह शेखावत पुत्र श्री अमरसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी कोछोर तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 नगर पालिका जरिये अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 अतुल चोटिया पुत्र रामस्वरूप चोटिया जाति ब्राहम्ण निवासी सी. 203 प्रतिष्ठा अपार्टमेन्ट नजदीक बोडक देव फायर स्टेशन बोडकदेव अहमदाबाद (गुजरात)।

रेस्पोडेंट

प्रार्थना पत्र बाबत आदेश दिनांक 18.09.2015
रिकॉल किया जाकर अपील को सुनवाई हेतु नम्बर
पर लेने हेतु।

उपस्थिति :

1. श्री राधेश्याम सिखवाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बजरंग सिंह राजपूत, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री हरिश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * सत्यमेव जयते

–निर्णय–

दिनांकः– 23.02.2022

यह आवेदन इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 227/2012 में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी विक्रय सिंह ने अन्य अप्रार्थीगण से मिलीभगत कर गैरकानूनी फर्जी वसीयत दिनांक 08.01.1990 के आधार पर सहायक कलेक्टर खण्डेला जिला सीकर के वाद संख्या 83/2012 उनवानी विक्रय सिंह बनाम राजस्थान सरकार में अपीलार्थी प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही निर्णय एवं डिक्री प्राप्त कर ली, जिसकी प्रमाणित प्रति दिनांक 17.08.2012 को प्राप्त होने पर प्रार्थी अपीलार्थी ने इस न्यायालय में अपील संख्या 227/2012 प्रस्तुत की। इस अपील में अपीलांट के अधिवक्ता रामप्रकाश गुप्ता ने दिनांक 18.09.2015 को अपीलांट की सहमति व हस्ताक्षर के बिना आवेदन प्रस्तुत कर अपील प्रत्याहरित कर खारिज करने का निवेदन किया। इस न्यायालय द्वारा वकील अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपील खारिज कर दी गई। इसके विरूद्ध यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है। बहस सुनी गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत आवेदन धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान कश्तकारी अधिनियम एवं मियाद अधिनियम में धारा 151 सीपीसी के आवेदन हेतु पृथक से कोई मियाद की सीमा निर्धारित नहीं है। राजस्व न्यायालयों को धारा 151 सीपीसी में पक्षकारों के न्यायहित हेतु असीमित अधिकार प्रदान किये गये है। मियाद अधिनियम की धारा 137 के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में 3 साल की मियाद मानी गयी है। प्रस्तुत आवेदन विचाराधीन आदेश से 6 माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन हेतु अपीलांट की कोई सहमति नही थी, न ही अपीलांट के आवेदन के हस्ताक्षर है। विधि अनुसार वकालतनामें में अपील नोटप्रेस करने का अधिवक्ता को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

अधिकार नहीं है। विचाराधीन निर्णय अपीलांट के हितों के विपरित होने से विधि विरूद्ध है। न्यायालय को अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह देखना होता है कि आवेदन पक्षकार की सहमति से प्रस्तुत किया गया है, पक्षकार के हित मे प्रस्तुत किया गया है एवं अधिवक्ता को ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है अथवा नहीं। आदेश 3 नियम 4 सीपीसी के अन्तर्गत अधिवक्ता को अपील स्वेच्छा से नोटप्रेस का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अपीलांट के हितों के विपरित होने से स्वीकार योग्य नहीं था। अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 को रिकॉल किया जाकर अपील पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर ली जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर आर डी 1988 पेज 670, आर आर डी 1992 पेज 424, आर आर डी 2007 पेज 877, डब्ल्यू एल सी 2002(वीसी) पेज 361, ए आई आर 1973 राज. पेज 52, सीसीसी 2006 (2)(एससी) पेज 54, सीसीसी 2014 (2) पंजाब एवं हरियाणा पेज 532, सीसीसी 2014 (1)पंजाब एवं हरियाणा पेज 848, सीसीसी 2013 (1)केरला पेज 413 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विधि अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 151 सीपीसी इस स्तर पर पोषणीय नही है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 18.09.2015 को अपील संख्या 227/2012 में आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया है। अपील की विषय वस्तु सम्पदा एवं अनुतोष से सम्बंधित ही सिविल वाद श्रीमाधोपुर स्थित न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील को चलाने का औचित्य नही रह गया है और अपीलांट अपील को प्रत्याहरित करता है। अत निवेदन है कि अपील नोट प्रेस में निरस्त करना प्रार्थनीय है। अपीलांट के अधिवक्ता के इस आवेदन पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2015 को अपील खारिज की गई है। अपील में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वकालत नामे के अवलोकन किया गया। इस वकालतनामे में स्पष्ट अंकित है कि अन्य कार्यवाही अभिभाषक जो करे वह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपने स्वयं के द्वारा की गई कार्यवाही के समान स्वीकार होगा। ऐसी स्थिति में अब अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर यह कथन किया जाना कि अपीलांट की सहमती एवं हस्ताक्षर के बिना अपीलांट के हितो के विरूद्व उनके अधिवक्ता द्वारा नोट प्रेस की गई अपील का निर्णय रिकाल किया जावें विधि सम्मत एवं स्वीकार योग्य नही है। अत आवेदन खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत आवेदन धारा 151 सीपीसी के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान कश्तकारी अधिनियम एवं मियाद अधिनियम में धारा 151 सीपीसी के आवेदन हेतु पृथक से कोई मियाद की सीमा निर्धारित नहीं है। राजस्व न्यायालयों को धारा 151 सीपीसी में पक्षकारों के न्यायहित हेतु असीमित अधिकार प्रदान किये गये है। मियाद अधिनियम की धारा 137 के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में 3 साल की मियाद मानी गयी है। प्रस्तुत आवेदन विचाराधीन आदेश से 6 माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन हेतु अपीलांट की कोई सहमति नही थी, न ही अपीलांट के आवेदन के हस्ताक्षर है। विधि अनुसार वकालतनामें में अपील नोटप्रेस करने का अधिवक्ता को अधिकार नहीं है। विचाराधीन निर्णय अपीलांट के हितों के विपरित होने से विधि विरूद्ध है। न्यायालय को अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन में यह देखना होता है कि आवेदन पक्षकार की सहमति से प्रस्तुत किया गया है, पक्षकार के हित मे प्रस्तुत किया गया है एवं अधिवक्ता को ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार है अथवा नहीं। आदेश 3 नियम 4 सीपीसी के अन्तर्गत अधिवक्ता को अपील स्वेच्छा से नोटप्रेस का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अपीलांट के हितों के विपरित होने से स्वीकार योग्य नहीं था।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत सी.सी.सी. 2014 (2) आन्ध्रप्रदेश पेज 720 में माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Civil Procedure Code, 1908,O.23 R.3 & S. 151- Withdrawal of suit Recall of order - Court can invoke its inherent powers u/s 151 CPC and can set aside the order permitting withdrawal of suit if it is proved that the party had not given any instructions to his counsel to withdraw the suit or that there was no such settlement out of court and that the party was a victim of fraud played on him by his counsel.

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में आवेदन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2015 को रिकॉल किया जाकर अपील पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर ली जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर